न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 29/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. हीरा पुत्र पेमा
2. काना पुत्र पेमा
3. सूजा पुत्र पेमा
4. लादू पुत्रान देवा
5. नन्दा पुत्रान देवा
6. जालू पुत्रान बन्ना

समस्त जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील फुलेरा मुं0 सांभर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 07.07.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
: ब) अधिवक्ता श्री भँवर लाल वर्मा अप्रार्थी संख्या 4, 6 की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मुं0 सांभर द्वारा न्यायालय के समक्ष सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम जैतपुरा तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 15 बीघा 08 बिरवा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में हीरा वल्द पेमा, काना वल्द पेमा, सूजा वल्द पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू वल्द बन्ना जाति जाट निवासी जैतपुरा के नाम खाता संख्या 288 खसरा नम्बर 112/2 रकबा 02 किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 348 से हीरा वल्द पेमा, काना पुत्र पेमा, सूजा पुत्र पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू पुत्र बन्ना निवासी जैतपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 5920/1.6.1990 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्वभूत नहीं होते है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2060 से 2063, नामान्तकरण संख्या 348 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

रेफरेन्स पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भँवर लाल वर्मा उपस्थित। शेष बावजूद सूचना अनुपस्थित। शेष अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है। अतः पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम जैतपुरा तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 15 बीघा 08 बिरवा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में हीरा वल्द पेमा, काना वल्द पेमा, सूजा वल्द पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू वल्द बन्ना जाति जाट निवासी जैतपुरा के नाम खाता संख्या 288 खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 348 से हीरा वल्द पेमा, काना पुत्र पेमा, सूजा पुत्र पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू पुत्र बन्ना निवासी जैतपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 5920 दिनांक 01.06.1990 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाशयों की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्‌भूत नहीं होते है। पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार कुआं कई वर्षो से बंद पडा होने से इस कुऐ का कोई औचित्य नही है। अतः जिसके अनुसार उक्त भूमि वापस बन्दोबस्त अभिलेख के अनुसार राजस्व रिकार्ड में सरकारी अंकित होना अपेक्षित है। डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त खातेदारी निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र सेटलमैन्ट खतौनी ग्राम जैतपुरा तहसील फुलेरा सम्वत 2011–2029 के आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 15 बीघा 08 बिरवा किस्म गै. मु. तलाई सिवाय चक बिना लगानी अंकित हैं। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2060 से 2063 में हीरा वल्द पेमा, काना वल्द पेमा, सूजा वल्द पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू वल्द बन्ना जाति जाट निवासी जैतपुरा के नाम खाता संख्या 288 खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकिन चाह दर्ज है। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 348 से हीरा वल्द पेमा, काना पुत्र पेमा, सूजा पुत्र पेमा, लादू वल्द देवा, नन्दा वल्द देवा, जालू पुत्र बन्ना निवासी जैतपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 5920 दिनांक 01.06.1990 के द्वारा दर्ज है। उक्त भूमि मुताबिक सेटलमैन्ट खतौनी गै0 मु0. तलाई दर्ज थी। मा0 उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के क्रम में उक्त भूमि किस्म आवंटन योग्य नही है तथा पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा मु0 सांभरलेक का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतपुरा के खसरा नम्बर 112/2 रकबा 0.02 बीघा भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में पूर्वानुसार राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु पत्रावली मय निर्णय की तीन प्रमाणित प्रतियों के साथ माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृती हेतु भिजवाया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 7.7.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
अति. जिला मजिस्ट्रेट जयपुर